

# प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'पचास'

प्रश्न सं. [क. 1857]

[ 18/3/2016]

*विभाग लाइ अग्रज, बी.न. ५२८३०८ - १८५७*

**परिशिष्ट - ४८**

**बोध परियोजना निरस्त कर उसके स्थान पर नई लिप्त इरीगेशन परियोजना**

संक्र परियोजना का नाम	निरस्त की गई वन भूमि	जिला	दूब क्षेत्र (हेक्ट. में)		प्रस्तावित सिंचाई (हेक्टरेष)	निरस्त करने एवं इसके स्थान पर नई उद्वहन सिंचाई योजना का निर्माण किये जाने का कारण		
			वन भूमि	गैर वन भूमि				
1.	2	3	4	5	6	7	8	
चिंकी परियोजना	नरसिंहपुर	113	6882	6995	73979	नए भू-अर्जन आधिनियम से लागत में वृद्धि होने, अधिक दूब क्षेत्र होने, दूब क्षेत्र में वन भूमि आने से असाध्य होने के कारण निरस्त की गयी ।  अत्यधिक दूब क्षेत्र के कारण इसे उद्वहन सिंचाई परियोजना के रूप में निर्मित किया जा रहा है। इस परियोजना से 104134 हेक्टर कमांड क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है।		

*Shivam*  
(ज.एन. शिवाहरे)

सदस्य (आमियांत्रिकी)  
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल

*Chhaya*  
(एस.के.बघेताल)  
अबर सचिव

नर्मदा घाटी विकास विभाग

बिहार लगा नवारंभ वृत्ता क्रमांक - 1857

परिवार - ०८

### निरस्त की गई परियोजनाएँ

संक्र.	निरस्त की गई परियोजना का नाम	जिला	दुख क्षेत्र (हेक्ट. में)		प्रस्तावित सिंचाई (हेक्टेयर)	निरस्त करने का कारण	
			चन भूमि	गैर वन भूमि			
1.	शेर परियोजना	नरसिंहपुर	442.86	1854.48	2297.34	486	नए भू-अर्जन अधिनियम से लागत में वृद्धि होने, अधिक दुख क्षेत्र होने, दुख क्षेत्र में वन भूमि आने से असाध्य होने के कारण
2.	मछलेवा परियोजना	नरसिंहपुर	580.61	83.64	664.25	4130	नए भू-अर्जन अधिनियम से लागत में वृद्धि होने, अधिक दुख क्षेत्र होने, दुख क्षेत्र में वन भूमि आने से असाध्य होने के कारण
3.	अपर बुढ़नेर परियोजना	मण्डला	497.00	1026.00	1523.00	9800	नए भू-अर्जन अधिनियम से लागत में वृद्धि होने, अधिक दुख क्षेत्र होने, दुख क्षेत्र में वन भूमि आने से असाध्य होने के कारण
4.	रोसरा परियोजना	डिङडौरी	1233.00	1834.00	3067.00	0	नए भू-अर्जन अधिनियम से लागत में वृद्धि होने, अधिक दुख क्षेत्र होने, दुख क्षेत्र में वन भूमि आने से असाध्य होने के कारण
5.	बधानिया परियोजना	मण्डला	305.00	1479.00	1784.00	5600	नए भू-अर्जन अधिनियम से लागत में वृद्धि होने, अधिक दुख क्षेत्र होने, दुख क्षेत्र में वन भूमि आने से असाध्य होने के कारण
6.	राधपुर परियोजना	डिङडौरी	80.00	2655.00	2735.00	4000	नए भू-अर्जन अधिनियम से लागत में वृद्धि होने, अधिक दुख क्षेत्र होने, दुख क्षेत्र में वन भूमि आने से असाध्य होने के कारण
7.	अटारिया परियोजना	जबलपुर	10.79	961.00	971.79	1950	नए भू-अर्जन अधिनियम से लागत में वृद्धि होने, अधिक दुख क्षेत्र होने, दुख क्षेत्र में वन भूमि आने से असाध्य होने के कारण

*M. M. Mehta*

(जे.एन. शिवहरे)

नर्मदा धारी विकास प्राधिकरण, भोपाल

*M. M. Mehta*

नर्मदा धारी विकास विभाग

RK